



कार्यालय प्रधान आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER (AUDIT) CENTRAL GOODS &
SERVICE TAX,**
G-105, New Industrial Area, Opp. Diesel Shed, Basni, Jodhpur (Raj.)
E-mail: tech-auditjdr@gov.in, tech-auditjdr@gov.in

Dated: #As e-signed#

सेवा में,

श्री आर्यन अग्रवाल,

पता: Ward no.10, Near Boarding House,

Bhadra, Rajasthan, Pin:335501

E-mail: agarwalaryan0786@gmail.com

Contact: 9896464811

विषय : RTI application Registration No. GSTJP/R/E/26/00054/1 dated 10.03.2026
filed by Shri Aryan Agarwal under the RTI Act, 2005- reg.

महोदय,

कृपया आपके द्वारा दायर RTI आवेदन पंजीकरण संख्या GSTJP/R/E/26/00054/1 दिनांक 10.03.2026 का सन्दर्भ लेवें |

2. आपके द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 09 के संदर्भ में सूचित किया जाता है आपके आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 09 में मांगी गई सूचना विशिष्ट एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति की है, जो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी किए गए शो कॉज नोटिस, करदाता श्रेणी तथा समय-सीमा (limitation) के आधार पर वर्गीकृत जानकारी से संबंधित है एवं मांगी गई सूचना इस कार्यालय द्वारा वांछित संकलित (compiled) प्रारूप में संधारित/मैटेन नहीं की जाती है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार "सूचना" से आशय केवल उस सामग्री से है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो, न कि ऐसी सूचना से जिसे विशेष रूप से संकलित, निर्मित या विश्लेषित करना पड़े एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनेक व्यक्तिगत प्रकरणों/फाइलों का परीक्षण एवं संकलन करना होगा, जिससे इस कार्यालय के संसाधनों का अत्यधिक एवं असंगत (disproportionate) उपयोग होगा। अतः वांछित सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।

4. इस प्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गली न. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त गुप्ता)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी